न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 38/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 2.5.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. सीताराम आत्मज जगन्नाथ जाति बागरी
2. शिवलाल आत्मज जगन्नाथ जाति बागरी
   अकवाम निवासीगण ग्राम खलील नगर तहसील पिड्डावा जिला झालावाड।

...अपीलाट्स

बनाम

1. भंवरी बाई पुत्री कालू एंव नन्दू बाई पत्नी गिरधारी जाति बागरी निवासी खलील नगर हाल निवासी पालखन्दा तहसील पिडावा।
2. धापू बाई पुत्री कालू एंव नन्दूबाई पत्नी रामचन्द्र जाति बागरी निवासी खलील नगर हाल निवासी हेमडा तहसील पिडावा।
3. सेहन बाई पुत्री कालू एंव नन्दूबाई पत्नी रामदयाल जाति बागरी निवासी खलील नगर हाल निवासी आंवली कला तहसील पचपहाड जिला झालावाड।
4. परमानन्द आत्मज जगन्नाथ जाति बागरी
5. पूरी बाई बेवा जगन्नाथ जाति बागरी
6. शिवनारायण नकल पुत्र नन्दूबाई जाति बागरी
7. सीताराम नकली पुत्र नन्दूबाई जाति बागरी
8. प्रेमनारायण नकल पुत्र नन्दूबाई जाति बागरी
   अकवाम निवासीगण खलील नगर तहसील पिडावा जिला झालावाड।
9. तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मनोज कुमार चांचोदिया अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ता 3

निर्णय

दिनांक 5.2.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 44/अपील/16 बउनवान भंवरीबाई वगेरा बनाम सीताराम आदि मे पारित निर्णय दिनांक 3.10.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार पिडावा द्वारा ग्राम खलील नगर स्थित आराजी का दिनांक 24.11.2010 को तस्दीक नामा0 सं0 465 से असंतुष्ट होकर भंवरीबाई वगेरा द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण नन्दूबाई के वारिसान की जांच किये बगेर सीताराम, शिवलाल व परमानन्द के नाम छ्दम नाम से तस्दीक किया गया है जिसे निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3.10.2016 से इन्तकाल सं0 465 दिनांक 24.11.10 को तस्दीक किया गया था मे तत्समय विधिक दायाद वारिसान बावत पुनः आवश्यक जांच की जाकर यदि उक्त इन्तकाल मे अनियमितता पाई जाती है तो सम्बन्धित पटवारी व आईएलआर पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल जेरअपील को खारिज कर विधिक दायाद वारिसान के नाम नवीन इन्तकाल तस्दीक कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार पिडावा को निर्देशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियिम मे न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। रेस्पो0 कम–1 लगा0 3 द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 6 वर्ष विलम्ब से पेश की गई थी जो मियाद बाहर थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बगेर ही अपील को स्वीकार कर अवैधानिकता की है। रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा अपील मे अपनी छोटी बहर के पुत्र बालचंद व बापूलाल के होने के तथ्य पत्रावली पर आने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नही बनाकर अवैधानिकता की है। विवादित नामा0 मे वर्णित आराजी के संबध मे एक दावा अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के न्यायालय मे प्रस्तुत करने संबधी तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी के संबध मे नवीन इंतकाल तस्दीक करने का निर्णय पारित नही करना चाहिये था बल्कि कानूनी प्रावधानो के मुताबिक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाकर नियमित वाद मे अंतिम निर्णय के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करने का आदेश पारित करना चाहिये था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.10.16 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस प्रकट किया कि ग्राम खलील नगर स्थित आराजी किता 14 रकबा 32 बीधा मे मे से 1/2 हिस्से की सहखातेदार नन्दूबाई बेवा कालू बागरी की मृत्यु उपरांत उसकी विरासत का नामा0 सं0 465 अपीलांट के पक्ष मे तहसीलदार पिंडावा द्वारा तस्दीक किया गया। रेस्पो0 कम–1 लगा. 3 द्वारा उक्त नामा0 की अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल के संबध मे विधिक दायाद वारिसान बावत पुनः आवश्यक जांच की जाकर यदि उक्त इन्तकाल मे अनियमितता पाई जाती है तो सम्बन्धित पटवारी व आईएलआर पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल जेरअपील को खारिज कर विधिक दायाद वारिसान के नाम नवीन इन्तकाल तस्दीक करने का दि0 3.10.2016 को निर्णय पारित कर अवैधानिकता की है। विवादित आराजी के संबध मे रेगूलर वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे जेरकार है। अतः दावे के निर्णय तक कार्यवाही नही करे। रेगूलर वाद मे ही पक्षकारो के स्वत्व का निर्धारण होगा। अन्त मे अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2003 (2) पेज 886 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दावा पेश करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक सजरा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय पूर्णतया सही है। अपीलांट ने अपना हिस्सा ले लिया है विवादित आराजी मे आपका लोकस स्टेण्डाई नही है रेस्पो0 कम 5,6,7 अधीनस्थ न्यायालय मे भी उपस्थित नही हुये है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अभिभाषक से जानकारी करने पर निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी 4.6.2016 को होना वर्णित कर प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पटवार मण्डल मगीसपुर द्वारा इंतकाल सं0 465 ग्राम खलील नगर की दिनांक 16.4.2016 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार तह0 पिडावा द्वारा दिनांक 24.11.10 को नामान्तरकरण सं0 465 तस्दीक करते समय मृतक नन्दूबाई के वारिसान की जांच नही की जाने का संदेह उत्पन्न होने पर जांच कराया जाना उचित प्रकट होने पर विधिक वारिसान बावत पुनः आवश्यक जांच की जाकर यदि उक्त इन्तकाल मे अनियमितता पाई जाती जो संबधित पटवारी व आईएलआर पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल को खारिज कर विधिक दायाद वारिसान के नाम नवीन इन्तकाल तस्दीक करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 3.10.2016 पारित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी के संबध मे वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे पक्षकारो के स्वत्व का निर्धारण होगा ऐसी स्थिति मे नामा0 को निरस्त नही कर नामा0 कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2003 (2) पेज 886 का न्यायिक उद्धरण पेश किया गया। अधीनस्थ न्याया0 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 3.10.16 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 465 को निरस्त नही किया है बल्कि उक्त नामा0 के संबध मे मृतक खातेदार नन्दूबाई के विधिक वारिसान को लेकर उत्पन्न हुये संदेह के परिपेक्ष्य मे मृतक के विधिक वारिसान की पुनः जाच कर यदि उक्त इंतकाल मे अनियमितता पाई जाती है तो संबधित पटवारी/आईएलआर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इंतकाल को खारिज कर विधिक दायाद वारिसान के नाम नवीन इंतकाल तस्दीक करने का आदेश पारित किया है। फलत् इस स्टेज पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण प्रकरण मे चस्पा नही होते है। अतः उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित होना नही पाते है। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नही है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 5.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा